यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 79 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्र जाट वकील प्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक — **29.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 796 लगायत 798, 803 लगायत 808, 815 लगायत 819 किता 14 कुल रकबा 10.19 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 1031 / 97, 1033 / 97 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा 1 / 12 कब्जे काश्त व खातेदारी शुदा है जो कि प्रार्थी के हक हिस्से की खातेदारी बजरंगलाल पुत्र लिछमण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं भूमि खसरा नम्बर 1031 / 97, 1033 / 97 में हिस्सा 1 / 60 की खातेदारी जग्गु पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमणराम है जो प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड बैंक रिकार्ड विघालय रिकार्ड आधार कार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमण राम ही दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से जगदीश प्रसाद के स्थान पर बजरंगलाल व जग्गु दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी कई बार बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई है। वाद कारण अर्सा करिब 8—10 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्त कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से इनकार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 796 लगायत 798, 803 लगायत 808, 815 लगायत 819 किता 14 कुल रकबा 10.19 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 1031/97, 1033/97 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रार्थी का नाम बजरंगलाल पुत्र लिछमण व जग्गु पुत्र लिछमण को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमणराम संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम बजरंगलाल पुत्र लिछमण व जग्गु पुत्र लिछमण को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमणराम संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम हरिपुरा के खसरा नम्बर 796 लगायत 798, 803 लगायत 808, 815 लगायत 819 किता 14 कुल रकबा 10.19 है0 आवेदक का नाम बजरंगलाल पुत्र लिछमण हिस्सा 1/12 व भूमि खसरा नम्बर 1031/97, 1033/97 में जगु पुत्र लिछमण हिस्सा 1/60 जाति जाट सा0 देह खातेदार का जमाबन्दी सं0 2039–2042 में पिता की विरासत नामा0 सं0 1106 दिनांक 12.10.1983 से आया है। जमाबन्दी सं0 2035–2038 ग्राम हरिपुरा के नाम0 1060 से लिछमण के बजाय श्योपाल–जगु पिता लिछमण .चोखली बेवा लिछमण विरासत से खातेदी दर्ज हुई है। आवेदक खातेदार का पहचान के दस्तावेज राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक पैन कार्ड आदि सभी में सही व शुद्ध नाम जगदीश प्रसाद दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अंतर्गत धारा**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 796 लगायत 798, 803 लगायत 808, 815 लगायत 819 किता 14 कुल रकबा 10.19 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 1031/97, 1033/97 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रार्थी का नाम बजरंगलाल पुत्र लिछमण व जग्गु पुत्र लिछमण को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमणराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ